राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : प. 3(2)राज–6/2007/पार्ट/101 जयपुर, दिनांक 18-09-19

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के पैरा 3 के विद्यमान बिंदु संख्या 2 को को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 निम्न प्रकार से है:–

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार:– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पटटेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

इस प्रावधान के अनुसार काश्तकारों को जागीर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है। कई मन्दिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी। इस अधिनियम के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ इस प्रावधान के अनुरूप काश्तकारों को मन्दिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है व इन प्रावधानों की पालना में ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकारी दिए गए हैं। इसके बावजूद कुछ प्रकरणों में ऐसी भूमियों पर भी राजस्व मण्डल में रेफरेंस दायर किए गए अथवा खातेदारी भूमि सिवायचक घोषित कर दी गई। यह उचित नहीं है। जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया, इस प्रकार की भूमि पर दायर निगरानी वापस ली जाए व यदि बिना न्यायिक प्रकिया अपनाए इस प्रकार की भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत किसी मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर पुजारी को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

भवदीय

18.9.19

(कमलेश अबूसरिया)
उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मंडल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग को पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में।
11. रक्षित पत्रावली।

18.9.19

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner